CS 82/17

करने ही वाला है, जिसे न्यायालय की राय में, पेश किया जाना चाहिए, तो प्रतिपक्षी आक्षेप कर सकेगा कि ऐसा साक्ष्य तब तक नहीं दिया जाए जब तक ऐसी दस्तावेज पेश नहीं कर दी जाती, या जब तक वे तथ्य साबित नहीं कर दिए जाते, जो उस पक्षकार को, जिसने साक्षी को बुलाया है, उसका द्वितीयक साक्ष्य देने का हक देते हैं।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 160 (भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 157) जो निम्न प्रकार है –

उस तथ्य के बारे में पश्चात्वर्ती अभिसाक्ष्य की सम्पुष्टि करने के लिए साक्षी के पूर्वतन कथन साबित किए जा सकेंगे – किसी साक्षी की परिसाक्ष्य की सम्पुष्टि करने के लिए ऐसे साक्षी द्वारा उसी तथ्य से संबंधित, उस समय पर या के लगभग जब वह तथ्य घटित हुआ था, किया हुआ, या उस तथ्य का अन्वेषण करने के लिए विधि द्वारा सक्षम किसी प्राधिकारी के समक्ष किया हुआ कोई पूर्वतन कथन साबित किया जा सकेगा।

उक्त प्रावधानों में स्पष्ट किया गया है कि पूर्वतन लेखबद्ध कथनों के बारे में कब साक्षी से प्रतिपरीक्षा की जा सकती है। उक्त प्रावधानों से स्पष्ट किया गया है कि जब साक्ष्य विटनिस बॉक्स में हो तब उक्त साक्षी से उसके पूर्वतन लिखित कथनों के बारे में प्रतिपरीक्षा की जा सकती है। यह कि प्रकरण अंतिम बहस में नियत है तथा कोई भी साक्ष्य विटनिस बॉक्स में नहीं है जब साक्षी विटनिस बॉक्स में हो तभी उसके पूर्वतन लेखबद्ध कथनों को उसे दिखाकर उसकी प्रतिपरीक्षा की जा सकती है। वर्तमान में प्रकरण साक्ष्य में नियत नहीं है तथा कोई भी गवाह विटनिस बॉक्स में नहीं है जिसे दिखाकर उक्त गवाहान रामचंद्र, नंदसिंह, अमरकृष्ण की प्रतिपरीक्षा की जा सकती हो। अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण/वादीगण का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने के कारण एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम में दिनांक 11.05.2026 को पेश हो।

(11-05-26)

अपर जिला न्यायाधीश,
क्रम–1, कोटा

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
क्रम–1, कोटा (राज.)

11-5-26 वकुलाए करोकेन उपय) पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम मे दिनांक 18/5/26 को पेश हो।

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
क्रम–1, कोटा (राज.)